



# भारत का घाजापत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

लं. 96] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 12, 1993/फाल्गुन 21, 1914  
No. 96] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 12, 1993/PHALGUNA 21, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दो जाती है जिससे कि यह बलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय  
(पत्र पंज )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 1993

सा. का. नि. 280 (ग्र) :—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963  
( 1963 का 38 ) की धारा 132 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित धारा 124 की  
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पारादीप पत्रन न्यासो मण्डल द्वारा

बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में पारादीप पत्तन न्यास कम्ब-  
चारी (पेन्शन फंड) संशोधन विनियम, 1993 का अनुमोदन करती है।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को  
प्रवृत्त होंगे।

### अनुसूची

#### पारादीप पत्तन न्यास पेन्शन फंड (संशोधन) विनियम, 1993

मुख्य पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त ग्रन्तियों का प्रयोग करते हुए, पारादीप पत्तन न्यास का न्यासी बोर्ड इसके द्वारा पारादीप पत्तन न्यास पेन्शन फंड विनियम, 1967 का संशोधन करने के लिए कथित अधिनियम की धारा 124 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन पर, निम्नलिखित विनियम बनाती है।

1. लघुशीर्ष और प्रारम्भ :—ये विनियम पारादीप पत्तन न्यास पेन्शन फंड (संशोधन) विनियम, 1993 कहलाएंगे।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

3. पारादीप पत्तन न्यास पेन्शन फंड विनियम, 1976 के विनियम 4 के नीचे व्यवस्था के लिए निम्नलिखित व्यवस्था प्रतिस्थापित की जाएगी :—

“फंड एक समिति के द्वारा शासित होगा, जिसका गठन निम्नवत होगा :—

(क) अध्यक्ष,

पारादीप पत्तन न्यास

—अध्यक्ष

(ख) पत्तन में नियुक्त अधिकारी का प्रतिनिधित्व करने वाला बोर्ड का एक न्यासी

—सदस्य

(ग) वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी,  
पारादीप पत्तन न्यास

—सदस्य

(ब) अमिक के प्रतिनिधित्व करने वाले न्यासी की अनुपस्थिति में  
अध्यक्ष स्वयं पेन्शन फंड प्रशासित करेंगे।”

[एच-11011/16/92-पी ई.-I]  
अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

नोट :—मुख्य विनियम अर्थात् “पारादीप पक्षन न्यास पेन्शन फंड विनियम, 1976” भारत  
के राजपत्र दि. 17 जून, 1976, जी. एस. आर. सं. 980 में प्रकाशित किये गये।